International Indexed & Referred Research Journal, March, 2012. ISSN- 0975-3486, RNI-RAJBIL 2009/30097;VoL.III *ISSUE-30

शोध पत्र- शिक्षा

डॉ. आंबेडकर तथा महिला सशक्तिकरण

* प्रा.डॉ. गोकर्णा कृ. मानक

* सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, अकोला

March, 2012

२१ वी सदी में हम झॉक कर देखेंगे तो हमें महिलाए आसमान को छुती हुई नजर आती है। महिलाओंने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बलपर सभी क्षेत्रों में खुद की छवी बनायी है, यह बदलाव हमारे देश मे गतीसे हो रहा है। सभी क्षेत्रों मे महिला नजर आने लगी है। यह बदलाव हमारे भूमि में ही नही बल्की सारी दुनिया में सुरज की तरह स्पष्ट दिखता है। ऐसा कोई औदा नही जो वह पा नहीं सकती। सब उसके लिए मुमकीन है। दुनिया के तरक्की में यह महत्त्वपूर्ण हैं। लेकिन इस पूर्वकाल की बात करे तो महिलाए हमें किसी भी क्षेत्र में धर्म,सामाजिक क्षेत्र, राजकीय, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्र इन सभी क्षेत्र में नजर आती नही, इसका सखोलता सें अध्ययन किया तो कई बाते सामने आती हैं।

उसको कई जुल्मी बंधनो में जकड रखा है और जकड रखने का काम हमारे पवित्र समझने वाले, पौराणिक धर्मग्रंथने किया है। इन ग्रंथो में बताए हूए कई नियम पुरुषो ने अपने स्वार्थ हेतूसे लिखे है। हमारे समाज में कुछ न सोचते हूए इस नियमोंको स्वीकार किया है। उस नियमों के व्दारा महिलाओं के हक्क और अधिकार सब छीन लिए है और उसको पुरुषों की दासी बना दिया गया। बचपन में पिता कें, शादी के बाद पती के और बुढापें में बेटे के सहारे जीना पडता था, महिलाये कभी आझाद नहीं हो सकती।

पिता रक्षति कौमार्ये। पती रक्षति यौवने
पुत्र रक्षति वार्धक्ये। स्त्री स्वातंत्र्यम् अर्हति॥

महिलाओं को सभी धार्मिक कार्यो में हिस्सा लेना गैर था, मना था, पाप समझा जाता था। बछापनमें ही उसे बिना पुछे उसकी शादी कर दी जाती थी, अपना पती चुननें का, अपनी भावनाओं को प्रगट करने का उसको कोई हक नही था। शादी के बाद अगर पती मर जाता है तो पती के साथ उसको भी चीता की आग में जबरदस्ती ढकेल दिया जाता था। इतने जुल्मी नियम हमारे धर्मग्रंथ और समाज में मौजुद थे। ऐसे जुल्मी नियमों को तोडने का काम कई महापुरुषो और धर्मसंस्थापको ने किया हैं। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉ.भिमराव आंबेडकर, गोपाल गणेश आगरकर, छत्रपती शाहू महाराज तथा महानुभाव संस्थापक श्री चक्रधर स्वामी, श्री बसवेश्वर, गुरुनानक, संत कबीर, स्वामी दयानंद सरस्वती इन महामानवों के नाम गौरव से लिए जाते हैं। लेकिन इस व्यवस्था कों तोडने का, महिला मुक्ती का पहिला प्रयास किसी ने किया तो वह है, महात्मा गौतम बुध्द। यह हमारे लिए बहुत गौरव की और अहम् बात हैं। भारतीय संस्कृती में स्त्री को कभी देवी कें रुपमे देखा तो कभी उसे नरक की खाण कहाँ। एकतरफ से स्त्री की पुजा की, तो दुसरी तरफ से उसे पशु से भी हिन समझा।

ढोल गवार, पशू, शूद्र और नारी
ये सब है ताडन के अधिकारी
(तुलसी रामायण)

कहकर स्त्री को पशुकी तरह जीने के लिए मजबुर किया। डॉ.आंबेडकरजी ने स्त्री को न देवी समझा, न पशू। उन्होंने स्त्री को मानव समझ कर अपना पुरा जीवन उसे उसके हक दिलवाने के लिए व्यतित किया। धर्म की चिकित्सा करके स्त्री के लिए स्वतंत्रता का कक्ष खुला किया। सदीयों से अंधकार में जकडी हुई स्त्री को खुली साँस लेने की स्वतंत्रता दिलाई। यह स्वतंत्रता समाज स्त्री को आसानी से नही देगा इसलिए डॉ.आंबेडकर जी ने संविधान में स्त्री को मुलभूत हक दिलवाने के लिए हिंन्दू कोड बिल बनाया।

ब्रिटीश कालमें महिलाओंके लिए बनाये हुए कानून, मनस्मृती का प्रभाव, समाज परिवर्तन के लिए प्रतिकूल वातावरण आदी बाधाए डॉ.आंबेडकरजी के सामने थी। ऐसी प्रतिकूल स्थिती में उन्होंने हिन्दू कोड बिल बनाया। ब्रिटीश काल में सामाजिक जीवन यह स्त्रीयों के लिए दास्ययुग था। स्त्री भ्रुणहत्या, बालविवाह प्रथा, विधवा विवाह बंदी, सतीप्रथा अस्तित्त्व में थी।

१९४७ में भारत को आजादी मिली। भारत में प्रजातंत्र शुरु हुआ। डॉ.आंबेडकरजी कें नेतृत्त्व में संविधान का निर्माण हुआ ।आजादी कें पूर्व भारतीय समाज रचना, रुढीं, परंपराओ पर आधारित थी। इसमें स्त्रीयों को मनुष्य के रुपमें नकारा था। यह स्थिती स्वतंत्र भारत के लिए बहुत बडी समस्या बन सकती, यह बात ध्यान में रखते हुए डॉ.आंबेडकरजी ने संविधान में सामाजिक न्याय की बात पर जोर दिया। समाज में स्त्रीयों की संख्या पुरुषों के बराबर होने लगी थी, उसको अभिव्यक्ती की कही संधी नही थी। भारतीय संस्कृती में स्त्रीयों को अर्धांगिनी तो कहा, लेकिन उसको अपने हक्को से वंछित रखने की व्यवस्था भी की। स्वतंत्र भारत में घटनाकारों ने यह व्यवस्था बदलते हुए उसे समान अधिकार देने के लिए स्त्रीयों की कार्यक्षमता को अधोरेखित किया। इसलिए उद्देशिका में सामाजिक न्याय की नीती स्पष्ट करते हूए सामाजिक न्याय की व्याप्ती भी निर्देशित की। सामाजिक न्याय में सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय अंतर्भूत करके उसके आधार पर स्त्री विकास की दिशा निश्चित की।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।

इस घोषवाक्य के साथ भारतीय नारी की कहानी आरंभ होती है। आदीकाल से आधुनिक काल तक यदी हम निरपेक्ष होकर भारतीय स्त्री के स्थान के प्रती गंभीरता से विचाार करे तो शास्त्रों में, वेदों मे, पुराणो में नारी को सन्माननीय बनाने में विद्वानों ने कोई कसर नहीं चेडी है। परंतु सचा तो यह है की, सबने या तो नारी

को देवी का रुप प्रदान किया है, या तो उसे केवल भोगवस्तू मान लिया है। इन थे धुवो के बीच नारी मानव है, वह एक व्यक्ती है, उसके पास भी एक मन है, एक मस्तिष्क है । इस बात पर कभी विचार नहीं किया गया है । ग्रंथो में भले ही उसके लिए महानतम बाते की गई परंतु वास्तविकता इससे भिन्न है ।

भारत की भूमि रत्नों की खान कही जाती है, समय समय पर इस भूमि के कुछ क्रांतीरत्न भी पैदा किए है, परंतु इस देश के क्रांती का इतिहास डॉ.भीमराव आंबेडकर के सीवा पुरा नहीं हो सकता । वैसे तो मानव समाज को गतिशील कहा गया है । उसमें समय समय पर कुछ बदलाव होते है । परंतु न जाने क्यों इतिहास प्रसिध्द कुछ स्त्रियों को यदी छोड दे तो आम स्त्री का इतिहास ठहरा हुआ है । जीसमे है दमन,शोषण,पारंपारिक दृष्टिकोन एवम् नारी जगत की सीमाएँ । हम जब परिवर्तन अथवा क्रांती की बात कहते है तो केवल कुछ लोगों के परिवर्तन से संतुष्ट नहीं हो सकते । माना की शिक्षा ने स्त्रीयों को सतर्क किया है, वह अपने अधिकार की भाषा बोलने लगी है, किंतु प्रश्न फिर भी शेष बछाता हैं की, कितनी स्त्रिया ?क्या आदिवासी जुग्गी झोपडयों में रहने वाली, कार खानो में रहने वाली, गृहस्थी संभालने वाली आर्थिक रुप से पतिपर निर्भर करने वाली स्त्रियों की स्थिती मे सचमुच परिवर्तन आया है ? यदि इस प्रश्न का हम अंतरात्मा से और पूरी इमानदारी से उत्तर दे तो उत्तर मिलेंगा नहीं ।

ऐसे मे हमे डॉ.बाबासाहब आंबेडकर के शब्द याद आते है, प्रत्येक लडकी को जो करती है, उसने अपने को अपने पति का मित्र समझना चाहिए, अपने पति का दास बनना कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए । मुझे विश्वास है की, आप इस सलाह को मानेंगी तो आत्मसन्मान और गौरव बढाऐंगी । जब तक स्त्री को आत्मसन्मान और गौरव के साथ जीना नहीं आयेंगा, आप आदर्श समाज की रचना कैसे कर सकते है ? बाबासाहब कहते थे, मनुष्य की शक्ती तीन बातों पर निर्भर करती है,

१.शारीरिक अनुवांशिकता २.शिक्षा,ज्ञान,विज्ञान का संचय

३.उसकी अपनी कोशिशे पहली थे बातों को छोडकर हमारा ध्यान इस तिसरी बातपर अधिक जाना चाहिए । भारतीय नारी को यह समझ लेना होगा की, केवल मुक्ती की उद्घोषणा करने से अथवा थे चार पढीलिखी महिलाओं को नेतृत्त्व मिल जाने से स्त्रियों की स्थिती मे सुधार हो गया है, ऐसा समझनें मे कोई अर्थ नहीं है । किसी भी क्रांती अथवा परिवर्तन का आरंभ अपनी कोशिशो से होता है ।

प्राचिन काल से वर्तमान तक भारतीय नारी की सामाजिक स्थिती पर दृष्टिपात करे तो देखते हैं की, भारतीय नारी ने बडे उतार चढाव देखे है । उसे कई सामाजिक बंधनों, बर्बर अत्याचारों, धर्मशास्त्रों एवम् धर्माचार्योव्दारा खडे किए अवरोध झेलते हूए कठिन मार्गो से गुजरना पडा है । यही नहीं धर्माचार्यो और धर्मशास्त्रों की बदौलत २१ वी सदी और बढते समय मे भी भारतीय नारी गुलामि की बेडियों से अभितक मुक्त नहीं हो पायी है । मैथिलीशरण गुप्त ने सही लिखा है की,

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी
आँछल मे है थ्धु और आँखो मे है पानी ।

मोटे रुप से भारतीय नारी की सामाजिक स्थिती उपरोक्त चरणों मे देखी जा सकती है । भारत में महिला जागरण और उन्नती के समर्थको में डॉ.बाबासाहब आंबेडकरजी का नाम बडे गौरव के साथ लेना चाहिए । वर्ष २००१ तो "महिला दिवसद्" मनाये जाने के अलावा पूरा का पूरा वर्ष ही उन्हें समर्पित है । जिसका उद्देश उनका सशक्तीकरण हैं, ताकी वे कुल मिलाकर राजनीती,समाज और राष्ट्र में इतने दिन शोषित उतपीडित् न रहें । जहॉ तक संख्या का प्रश्न हैं, वे देश की विशाल जनसंख्या का आधा भाग अर्थात पुरुषों के लगभग बराबर हैं । लेकिन विडबंना यह है की, संविधानव्दारा हर क्षेत्र में बिन लिंगभेद समानाधिकार मान्य करने के पश्चात भी भारत पुरुषप्रधान गणतंत्र बना हुआ है, जिसमें महिलाओं की स्थिती निम्न स्तर की हैं ।

अब धिरे धिरे महिलाओं को महसूस हो रहा है की, इस स्थिती के लिए वह स्वयम् जिम्मेदार है ।संविधान में सामाजिक न्याय की दृष्टी से तथा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टी से कानून की निर्मिती की है और महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने का प्रयास किया है ।

उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट होता हैं की, महिलाओं को आर्थिक,सामाजिक तथा राजनैतिक न्याय दिलाने की दृष्टी से डॉ.आंबेडकर जी का योगदान महत्त्वपूर्ण है ।